श्रीमती प्रीतम कौर व अन्य बनाम माला सिंह व अन्य
प्रकरण संख्या 2024/003

28.03.2025 पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित पत्रावली मे बहस प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 11 सीपीसी सपठित धारा 151 सीपीसी समाहित की जा चुकी है। अधिवक्ता प्रार्थी/प्रतिवादी 03 ने प्रार्थना पत्र के कथनों को दोहराते हुए कथन किए कि– उपरोक्त शीर्षक का वाद माननीय न्यायालय में इस आशय का पेश किया गया है कि उनकी माता बचनो बाई पुत्री लखा सिंह पत्नी श्री उतार सिंह जाति रायसिख बनवासी गांव 2 सी बड़ी तहसील व जिला श्रीगंगानगर के नाम से राजस्व रिकार्ड में नाम अंकित था। बचनों बाई का देहान्त हो चुका है इसलिए बचनो बाई के वारिसान द्वारा उक्त शीर्षक का वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि बचनो बाई के नाम से राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद होने के कारण बचनो बाई का देहन्त हो चुका है और वादीगण बचनो बाई के वारिसान हैं इसलिए बचनो बाई की आराजी जो राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद थी उनके उत्तराधिकारी के रूप में वादीगण का नाम आ गया है इसलिए उक्त शीर्षक का वाद इस आशय का पेश है कि वादीगण के हक में बचनों बाई के हिस्सा तक डिक्री किया जावें और कब्जा दिलाया जावें। प्रतिवादीगण निवेदन करते है कि बचनो बाई पुत्री श्री लखा सिंह जाति रायसिख द्वारा बचनो बाई ने माननीय उपखण्डाधिकारी राजस्व, श्रीगंगानगर के यहां पूर्व में एक वाद संख्या 183/2000 अनवानी बचनो बाई बनाम माला सिंह आदि इसी आराजी के संबंध में अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का वाद प्रस्तुत किया था। बचनो बाई द्वारा पूर्व में उक्त शीर्षक का वाद व वर्तमान में जो प्रतिवादगण बनाये गये है दोनों वाद में पक्षकार व रकबा समान हैं। इस संबंध में निवेदन है कि बचनो द्वारा किया गया धारा 53 आर.टी.ए. का निर्णय दिनांक 02.07.2001 में खरिज कर दिया गया। इस प्रकार वाद के निर्णय के अनुसार बचनो बाई का हिस्सा स्वतः ही समाप्त हो गया। इस कारण बचनो बाई के हिस्सा के उत्तराधिकारियों को उक्त शीर्षक का वाद खारिज होने के कारण कोई वाद प्रस्तुत करने का अधिकार नहीं है क्योंकि बचनो बाई द्वारा प्रस्तुत वाद में अन्तर्गत धारा 53 आर.टी.ए. का प्रस्तुत किया गया था। उस संबंध में बचनो बाई के अधिकारों को खारिज कर दिया गया। इस बचनो बाई के अधिकार उस वाद में निर्धारित हो चुके हैं इसलिए बचनो बाई के वारिसान ने गलत आधारों पर वाद पेश किया उक्त वाद में रेस्जुडिकेटा सपठित धारा 151 सीपीसी लागू होता है इस कारण वाद चलने योग्य नहीं हैं। प्रतिवादीगण अपने अन्य अधिकारों को सुरक्षित रखते हुए यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन करते हैं कि वादीगण द्वारा प्रस्तुत किया गया वाद धारा 11 सपठित धारा 151 सीपीसी के अन्तर्गत रेस्जुडिकेटा लागू होने के खारिज किये जाने योगय हैं। इसमें यह भी उल्लेख करना आवश्यक है कि बचनो बाई का अधिकार समाप्त हो चुका था इसलिए वाद स्वतः ही चलने योग्य नहीं था। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी/प्रतिवादीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वादी का वाद इसी स्तर पर खारिज फरमाया जावे। अधिवक्ता प्रतिवादी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत RRD 1992 page 611 Mst. Maya Devi & ors. vs Pathana Singh & ors. and Citation 2020 (1) DNJ (Raj) 180 Rajasthan High Court प्रस्तुत कि[illegible]

अधिवक्ता अप्रार्थी/वादी द्वारा [illegible] किए गए कि– प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण के द्वारा प्रस्तुत केवल मात्र वाद को लम्बा करने की नियत से तथ्य बढा चढाकर अंकिन किये गये हैं जिसका कोई औचित्य नहीं है एवं इन [illegible] के पेश करने से वाद–पत्र पर किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं [illegible] प्रार्थीगण/वादीगण की माता श्रीमती बचनो बाई द्वारा पूर्व में श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी राजस्व श्रीगंगानगर में प्रस्तुत वाद पत्र संख्या 183/2000 बचनो बाई बनाम माला सिंह आदि बचनो बाई की मृत्यु उपरान्त खारिज हुआ था, जिसमें प्रार्थीगण/वादीगण को कायम मुकाम बनाये जाने सम्बन्धी न्यायालय में कोई दस्तावेज जानकारी के अभाव में पेश ना किए जाने पर वाद पत्र खारिज हुआ था जो कि इस वाद–पत्र के खारिज हो

Signature Not Verified
Digitally signed by Swati Gupta
Date: 2025.10.15 11:45:15 IST
Reason: SelfAttested

जाने पर वादीगण/प्रार्थीगण का हिस्सा समाप्त नहीं हो सकता है क्योंकि प्रार्थीगण/वादीगण की माता बचनो बाई का नाम आवंटन आदेश में बतौर जीव/सदस्य थी और उक्त भूमि जीवों/सदस्यों के आधार पर आवंटन हुई थी और उसकी मृत्यु उपरांत उक्त विवादित भूमि का 1/4 हिस्सा का प्रार्थीगण/वादीगण के नाम से विरास्तन इन्तकाल राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुआ है, जो कि प्रार्थीगण/वादीगण की पैतृक सम्पत्ति है, और पैतृक सम्पति का बंटवारा कर प्रार्थीगण/वादीगण का अधिकार सुरक्षित है। प्रार्थीगण/वादीगण की माता श्रीमती बचनो बाई का नाम आवंटन आदेश व खातेदारी सनद में बतौर आवंटी सदस्य होने पर कोई मालिकाना अधिकार किसी भी किस्म से समाप्त नहीं होते हैं, केवल मात्र प्रार्थीगण/वादीगण का वाद को जानबूझकर लम्बा करने की गर्ज से झूठे तथ्यों पर आधारित यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है जो कि काबिले खारिज है।

अतः जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी/प्रतिवादीगण का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

बहस उभयपक्ष पर मनन किया गया पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतो का ससम्मान अध्ययन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत निर्णय दिनांक 02.07.2001 अनवानी बचनो बाई बनाम माला सिंह व अन्य प्र.स. 103/2000 के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्र.स. 103/2000 तत्समय न्यायालय हाजा द्वारा खारिज किया जा चुका है। न्यायालय के मतानुसार Res judicata उक्त प्रकरण पर लागू होता है। अतः अधिवक्ता प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 11 सीपीसी सपठित धारा 151 सीपीसी स्वीकार किया जाकर प्रकरण संख्या 2024/003 अनवानी श्रीमती प्रीतमकौर व अन्य बनाम मालासिंह व अन्य वर्तमान स्तर पर खारिज किया जाता है।

निर्णय खुले खुले न्यायालय में सुनाया जाकर मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से आज दिनांक 28 मार्च, 2025 को जारी किया गया।

स्वाति गुप्ता
आर.ए.एस.
सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक दण्डनायक
(फास्ट ट्रेक), श्रीगंगानगर

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक दण्डनायक
(फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Swati Gupta
Date: 2025.10.15 11:15:15 IST
Reason: SelfAttested